न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 394 / 2021
दायर दिनांक :– 14.09.2021

अनवान

1. रामपाल पिता उदा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
2. भोली पिता उदा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
3. चन्द्री पिता जगरूप धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
4. जवाना पुत्र जगन्नाथ धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
5. बरदा पिता मोडा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
6. बाली पिता जगन्नाथ धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
7. बाली पुत्री मोडा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
8. भूरा पिता जगन्नाथ धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
9. गोपाल पिता मोडा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
10. मांगी पिता मोडा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
11. शंकरी पिता जगन्नाथ धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
12. सुडी पिता मोडा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
13. सोहन पिता जगन्नाथ धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. लादू पिता भूरा धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
2. धापू बेवा माधू धाकड नि. जवानपुरा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री दीपक कुमार पंचोली, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 03.11.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जवानपुरा प. ह. भगुनगर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 118 रकबा 1.6416 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी स्थित है। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि में काश्त करने के लिये आने जाने मे तथा फसल को लाने ले जाने के लिये एक मात्र रास्ता खसरा सं. 150 रकबा 13.11 बीघा में से आता जाता है जिसके खातेदार अप्रार्थीगण है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिये सदियो पुराना आने जाने का रास्ता जो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 के खाते की आराजी सं. 150 में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दिखाये रास्ते पर से प्रार्थीगण आता जाता रहता है व कृषि कार्य में काम आने वाले साधन लाता व ले जाता है तथा फसल को भी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

लाता ले जाता है। इस रास्तो की चौडाई लगभग 30 फीट है जिसका प्रार्थीगण लगातार निर्बाध रूप से स्वंय उपयोग करता है तथा बैलगाडी मवेशी ट्रेक्टर लाता ले जाता है। अप्रार्थी सं. 1 से 2 अब जानबूझ कर अकारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भुमि में आने जाने के प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित संलग्न नजरी नक्शे के प्रदर्शित रास्ते के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में इस सदियों पुराने रास्ते को बन्द कर प्रार्थीगण को खेतो पर आना जाना व काश्त में काम आने वाले साधन लाने ले जाने से रोकना चाहता हैं। मौके पर अ, ब, स, द स्थान पर वर्तमान में गिट्टी रोड ग्राम पंचायत भगुनगर के द्वारा बनाया गया है और इसके सहारे चम्बल परियोजना की पाईप लाईन भी गुजर रही है। जो खुला हुआ है। परन्तु अ व ब स्थान पर अप्रार्थीणों ने प्रार्थीगणों के खेत पर जाने के रास्ते को जबरन बन्द कर रखा है। इसलिये प्रार्थीगणों को अपनी काश्त की भूमि पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 150 से बिन्दु को नये रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित संलगन नजरी नक्शे मे प्रदर्शित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता की भुमि का प्रतिफल प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु सहमत हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2 की और से श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जवाब प्रार्थनापत्र में बताया की अप्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का रास्ता मौके पर नही है। मौके पर किसी प्रकार का गिट्टी रोड ग्राम पंचायत भगुनगर द्वारा नहीं बनाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से रास्ते को बंद नहीं किया गया। मौके पर ख.न. 142, 143, 144, 145, 150 की मेर पर होकर ख.न. 118 में जाने आने के लिये वर्तमान में रास्ता उपलब्ध है। तथा ख.स. 118 की कृषि भूमि में जाने आने के लिये ख. स. 154, 163/1 में भी रास्ता उपलब्ध है। मौके पर भौतिक रूप से रास्ता है जो वर्तमान में चालू है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करवाना फरमावे।

प्रार्थीगण की आराजी न. 118 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 20.10. 2021 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रेकार्डेड रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये खसरा नं. 150 में से रास्ता देने पर 4 बिस्वा अर्थात 0.0432 है. भूमि प्रभावित होगी। प्रार्थीगण को आ.न. 150 में से रास्ता दिये जाने की स्थिति में प्रभावित रकबा 04 बिस्वा की कीमत डी एल सी दर के हिसाब से 10779 रू. दस हजार सात सौ उनयासी रू. बनती है। प्रतिवादी ने स्वंय ख.न. 144, 146, 147, 150 से कोट लगाकर प्रचलित रास्ता बना रखा है। ख.न. 118 से लगता हुआ ख.न. 153 गे. मु. नाली तथा ख.स. 154 गे. मु. चरागाह जो कि मौके पर खुला है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थीगण की जोत आ.न. 118 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रतिवादीगण द्वारा हमारी आ.न. 118 में आने जाने के लिए ख.न. 142, 143, 144, 145, 150

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

की मेर पर होकर जो रास्ता बताया गया है, वह रास्ता रिकोर्डेड नही है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भी प्रतिवादी द्वारा ख.न. 144, 146, 147, 150 से कोट लगाकर बनाया गया रास्ता रेकार्डेड नही है। उक्त रास्ते के जरिये अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपनी जोत पर आने जाने नही देते है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया अन्य रास्ता ख. स. 154, 163/1 में भी रिकोर्डेड नही है। प्रार्थीगण की जोत तक पहुँचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 150 से होकर ही गुजरता है। तथा प्रार्थीगण को अपनी जोत तक पहुँचने हेतु इस रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि और कोई रिकोर्डेड रास्ता नही है। साथ ही प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि वे अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के बदले प्रतिकर के तौर पर भूमि देने की स्थिति में नही है, क्योंकि उनके पास पहले ही भूमि कम है। प्रार्थीगण रास्ता देने के बदले में न्यायालय के आदेशानुसार नगद प्रतिकर जमा कराने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने बताया की अप्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का रास्ता मौके पर नही है। बल्कि मौके पर ख.न. 142, 143, 144, 145, 150 की मेर पर होकर रास्ता ख.न. 118 में जाने आने के लिये वर्तमान में रास्ता उपलब्ध है। तथा ख.स. 118 की कृषि भूमि में जाने आने के लिये ख. स. 154, 163/1 में भी रास्ता उपलब्ध है। मौके पर भौतिक रूप से रास्ता है जो वर्तमान में चालू है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करवाना फरमावे। साथ ही अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यदि न्यायालय प्रार्थीगण के रास्ते दिये जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है, तो अप्रार्थीगण को प्रतिकर के तौर पर रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलायी जाये।

मैने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एंव तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 118 में आने जाने हेतु ख. न. 150 में से रास्ता चाहते है। प्रार्थी के आ.न. 118 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता नही है। रिकोर्डेड रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को अपने आराजी खसरा नं. 118 में आने जाने में परेशानियों का सामना करना पडता है, इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। रास्ते से प्रभावित होने वाली भूमि के प्रतिकर के लिए दोनो पक्ष परस्पर सहमत नहीं है। अप्रार्थीगण प्रभावित भूमि के बदले में भूमि चाहते है, जबकि प्रार्थीगण नगद राशि प्रतिकर के रूप में देने को तैयार है। पक्षकारों मे प्रतिकर के बारे में पारस्परिक रूप से सहमति नही होने कि स्थिति में राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 (II) (क) के प्रावधानों के अनुसार डी एल सी रेट का दो गुना प्रतिकर के तौर पर निर्धारित किया गया। आ.न. 150 में से रकवा 04 बिस्वा अर्थात 0. 0432 है. भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रभावित रकबे का डी एल सी दर की दुगुनी दर के हिसाब से प्रतिकर की रकम 21558 रू. (ईक्कीस हजार पॉच सौ अठठावन रू.) बनती हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम जवानपुरा प. ह. भगुनगर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 118 रकबा 1.6416 है. में आने जाने के लिये आ. न. 150 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। अप्रार्थीगण के आराजी ख.न. 150 में रास्ता दिया जाने से प्रभावित होने वाली भूमि, रकबा 04 बिस्वा के बदले में प्रतिकर के तौर पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को 21558 रू. (ईक्कीस हजार पॉच सौ अठठावन रू.) अदा करेगें। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,

Scanned with CamScanner